झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

तृतीय झारखण्ड विधान सभा | नवम् सत्र (मानसून)
संख्या-05 | गुरुवार दिनांक-6 सितम्बर, 2012 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 4.10 बजे अप० तक ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

1.विविध चर्चायें:-

क- माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव द्वारा अनुशंसा पर आवंटित Coal Blocks को रद्द करने की माँग की गई।

ख- माननीया सदस्या श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने सदन के बाहर धरने पर बैठे माननीय सदस्य श्री सुरेश पासवान की ओर माननीय अध्यक्ष महोदय का ध्यानाकृष्ट किया जिसपर माननीय संसदीय कार्यमंत्री, माननीय नेता, प्रतिपक्ष एवं माननीया सदस्या श्रीमती अन्नपूर्णा देवी को उन्हें ससम्मान सदन में लाये जाने हेतु उन्होंने सुझाव दिया तथा उनकी समस्याओं को 12.00 बजे मध्या० में सुने जाने हेतु आश्वस्त किया।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री पासवान सदन में आये)

ग- माननीय सदस्य श्री कृष्णानंद त्रिपाठी ने अपने द्वारा दिये गये कार्यस्थगन प्रस्ताव की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया। आसन द्वारा माननीय सदस्यो को सूचित किया गया कि आज के लिए प्राप्त सभी कार्यस्थगन प्रस्तावों को नियमानुसार अमान्य कर दिया गया है तथापि 12.00 बजे मध्याह्न में इन्हें पढ़ने की अनुमति मात्र दी जायेगी।

घ- दैनिक भास्कर में माननीय नेता, प्रतिपक्ष के नाम से आसन के विरूद्ध छपे समाचार के सम्बन्ध में उन्होंने आपत्ति जतायी और कहा कि ऐसा उनके द्वारा कोई बयान नही दिया गया है। अध्यक्ष महोदय द्वारा इस विषय पर सम्बन्धित प्रेस से बात करने का आश्वासन दिया गया, इसी क्रम में माननीय सदस्य श्री निर्भय कुमार शाहाबादी ने कार्यवाही से विलोपित तथ्यों को भी अखबारों में प्रमुखता से प्रकशित किये जाने की ओर अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकृष्ट करते हुए इसे सदन की अवमानना बताया। माननीय अध्यक्ष महोदय ने इसे द्वितीय पाली में देखे जाने का आश्वासन दिया।

{कृपया पृष्ठ उलटें →}

2.प्रश्नकाल :-

आज के लिए निधारित अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ-

(I) कुल अल्पसूचित प्रश्नों की संख्या-28

(क) उत्तरित कुल-08 (क-अ० सू०-21, श्री रामचन्द्र बैठा, स० वि० स०, क-अ० सू०-15, श्री कमल किशोर भगत, स० वि० स०, अ० सू०-70, श्री प्रदीप यादव, स० वि० स० एवं अ० सू०-71, श्री संजय प्रसाद यादव, स० वि० स०, अ० सू०-72, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, स० वि० स०, अ० सू०-73, श्री पौलुस सुरीन, स० वि० स०, अ० सू०-74, श्री बंधु तिर्की, स० वि० स० एवं अ० सू०-75, श्री संजय कुमार सिंह यादव, स० वि० स०)।

(ख) अनागत कुल-20 (अ० सू०- 76 से लेकर अ० सू०- 95 तक)।

(II) कुल तारांकित प्रश्नों की संख्या-66

(क) उत्तरित कुल-03 (तारां०-174, श्रीमती गीताश्री उरांव, स० वि० स०, तारां०-175, श्री उमाशंकर अकेला, स० वि० स० एवं तारां०-176, श्री अरुण मण्डल, स० वि० स०)।

(ख) अनागत कुल-63 (तारां०-177 से तारां०-239 तक)।

3.विभिन्न सूचनाओं का दिया जाना :-

क. माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव ने अपने द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री, झारखण्ड सरकार के विरूद्ध दिये गये विशेषाधिकार हनन की सूचना के सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकृष्ट किया। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा जानकारी दी गयी कि अभी माननीय मंत्री का पक्ष जानने हेतु कार्यालय को निदेश दिया गया है।

ख. माननीय सदस्य श्री सुरेश पासवान ने देवघर स्थित पुनासी जलाशय योजना के विस्थापितों को मुआवजा एवं नौकरी दिये जाने के औचित्य को स्पष्ट करते हुए सम्बन्धित कागजात आसन के समक्ष प्रस्तुत किया।

ग. माननीय सदस्य श्री फूलचन्द मण्डल ने गोविन्दपुर थाना हाजत में धीरेन्द्र सिंह के मौत की जाँच सी.बी.आई. से कराये जाने की माँग की।

घ. माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव द्वारा अपने कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी और आग्रहपूर्वक आसन से इसके अमान्य होने की जानकारी माँगी। आसन द्वारा M.N. Kaul & S.L. Shakdher की पुस्तक में इस सम्बन्ध में अंकित नियम को पढ़कर वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी।

च. माननीय सदस्य श्री कृष्णानंद त्रिपाठी द्वारा पलामू में मनरेगा मजदूरों की मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित कार्य स्थगन प्रस्ताव को पढ़ा गया। आसन ने सरकार को इसे संज्ञान में लेकर कार्रवाई करने का निदेश दिया।

छ. माननीय सदस्य श्री बिनोद कुमार सिंह द्वारा अनुशंसा पर आवंटित Coal Blocks को रद्द करने की माँग की गई। इसपर आसन के सुझाव पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्थिति स्पष्ट की गयी।

ज. माननीय सदस्य श्री योगेन्द्र साव ने हजारीबाग में Coal Blocks के लिए आदिवासियों की जमीन अवैध तरीके से किये जा रहे अधिग्रहण के सम्बन्ध में अपना कार्य स्थगन प्रस्ताव पढ़ा।

झ. माननीय सदस्य श्री सौरभ नारायण सिंह ने राज्य के D.G.P. द्वारा की जा रही धांधलियों की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया जिसका समर्थन सर्वश्री उमाशंकर अकेला, अमित कुमार यादव, प्रदीप यादव, नीलकंठ सिंह मुण्डा एवं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने भी किया। सबों ने एक स्वर से D.G.P. को पद से हटाये जाने की माँग की। माननीय सदस्य श्री साईमन मराण्डी ने माननीय मुख्यमंत्री को स्वविवेक से काम लेने का आग्रह किया। आसन द्वारा इसकी जाँच किये जाने की आवश्यकता बतायी गयी।

ज. माननीय सदस्य श्री लोबिन हेम्ब्रम ने विधायक निधि की राशि निर्गत किये जाने की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया।

4.शून्यकाल :-

आज के लिए प्राप्त कुल- 26 शून्यकाल की सूचनाओं को पढ़ा हुआ मानते हुए सम्बन्धित विभागों में आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजे जाने हेतु आसन से घोषणा की गयी।

5.निवेदन :-

दिनांक- 31.08.2012 को सात, दिनांक- 03.09.2012 को तेरह एवं दिनांक- 04.09.2012 को पंद्रह कुल प्राप्त 35 निवेदनों को सम्बन्धित विभागों में आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजे जाने हेतु आसन से घोषणा की गयी।

6.प्रतिवेदन का उपस्थापन :-

पुकारे जाने पर श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, सभापति द्वारा झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 216 (1) के तहत सरकारी आश्वासन समिति का 15वें, 16वें, 17वें एवं 18वें प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी गयी।

7.सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

i. भारत के संविधान के अनुच्छेद- 151 (2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31मार्च, 2011 को समाप्त होनेवाले वर्ष का प्रतिवेदन 1, 2 एवं 3 (सिविल एवं वाणिज्यक, राजस्व प्राप्तियाँ तथा राज्य वित्त) झारखण्ड सरकार जिसे विधान सभा के समक्ष रखने हेतु भारत के

नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा महामहिम राज्यपाल के पास भेजे गये, की एक-एक प्रति श्री हेमन्त सोरेन, वित्त मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखी गयी।

ii. श्री हेमलाल मुर्मू, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा झारखण्ड राज्य पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अधिनियम, 2002 की धारा 14 के अधीन वित्तीय वर्ष 2011-12- अवधि 01.04.2011 से 31.03.2012 तक के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी जो सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री रघुवर दास, श्री अरविन्द कुमार सिंह, श्री लक्ष्मण गिलुवा एवं श्री निर्भय कुमार शाहाबादी ने विधायक निधि निर्गत नहीं होने तथा श्री बंधु तिर्की एवं श्रीमती गीताश्री उरांव ने राज्य में हुई आरक्षी नियुक्तियों में रोस्टर का पालन नहीं होने की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया)

8.गैर सरकारी संकल्प :-

आज के लिए निर्धारित गैर सरकारी संकल्प की सूचनाओं को निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी गयी और नियमानुसार वापस ली गयी-

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी
श्री कृष्णानंद त्रिपाठी
श्री अनन्त प्रताप देव
श्री बिनोद कुमार सिंह
श्री अरविन्द कुमार सिंह

(इस अवसर पर माननीय सभापति श्री साईमन मराण्डी ने आसन ग्रहण किया)

श्री हरिकृष्ण सिंह
श्री जय प्रकाश भाई पटेल
श्री ढुलू महतो
श्री प्रदीप यादव
श्री सौरभ नारायण सिंह
श्री जगरनाथ महतो
श्री संजय कुमार सिंह यादव
श्री मिस्त्री सोरेन
श्री जनार्दन पासवान
श्री शशांक शेखर भोक्ता
श्री विद्युतवरण महतो
श्री सुरेश पासवान

श्री रामदास सोरेन

श्री चन्द्रिका महथा

श्री रघुवर दास

श्री बंधु तिर्की

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

श्रीमती सुधा चौधरी एवं

श्री माधवलाल सिंह।

9.प्रश्नों के सम्बन्ध में विवरणी :-

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संसदीय संस्थाओं की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए तृतीय झारखण्ड विधान सभा के नवम् सत्र में प्राप्त प्रश्नों एवं ध्यानाकर्षण सूचनाओं की विवरणी प्रस्तुत की गयी तथा पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं मीडियाकर्मियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन किया गया।

10.अध्यक्षीय भाषण :-

सत्रांत में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अध्यक्षीय भाषण पढ़ा गया तथा धन्यवाद ज्ञापन किया गया तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित की गयी।

राँची,

दिनांक- 06 सितम्बर, 2012 ई०।

समरेन्द्र कुमार पाण्डेय,

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा।